भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1753
(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर के लिए)

सेवानिवृत्ति के बाद की पदनियुक्ति

1753. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

पिछले पांच वर्षों के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार पाने वाले आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों की पद, वर्ष और व्यक्ति-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत, आपवादिक परिस्थितियों में, जनहित में, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958/संगत नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवा में विस्तार दिया जाता है।
